215

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा
(म.प्र.)

Rs. 20/-
R-3893-III/14

बेबा हसीना बानो पत्नी स्व. मो० असगर उम्र- 62 वर्ष निवासी ग्राम बसेड़ा तहसील मनगवां जिला रीवा म०प्र० ------ आवेदिका

739
3.11.14

बनाम

1- मोहम्मद नासीर तनय दीन मोहम्मद

2- मोहम्मद रसीद तनय दीन मोहम्मद

दोनो निवासी ग्राम बसेड़ा तहसील मनगवां जिला रीवा म०प्र०

------ अनावेदक गण

श्री ... एड. के द्वारा आज दिनांक 3.11.14 प्रस्तुत किया गया
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक मनगवां/ सूरा तहसील मनगवां जिला रीवा म०प्र० के प्र०क्र० 25/अ 121 /13-14 आदेश दिनांक- 25-8-14

क्रमांक ... रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा. सं. 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

3625
3626

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक -25-8-14 विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

क्रमांक ... रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ... को प्राप्त 13-11-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि मे वर्णित प्रावधानो के विपरीत सीमांकन की कार्यवाही अवैधारूप से दिनांक 29-6-14 को भूमि खसरा क्र.- 1746/2 रकबा 0.020 हे. की जाकर नक्सा तरमीम किया गया। उक्त किए गए तरमीमी व सीमांकन की किसी प्रकार से कोई सूचना आवेदिका को नही दी गयी।

हसीना बानो

क्रमशः2

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R3893-III/14 जिला रीवा

हसीना / शमसीर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29/3/16 | मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। यह स्पष्ट है कि खसरा वर्ष 2013-14 के अनुसार निगराकार और गैर-निगराकार मूल ख. नं. 1746 के बटांक-धारी हैं, और गैरनिगराकार पक्ष की भूमि का सीमांकन किया जाने के पूर्व उसको नक्शे के ऊपर तरमीम नहीं होने की आपत्ती निगराकार ने उठाई थी, जिसके संबंध में RI ने आक्षेपित आदेश दि. 25-8-14 में यह लिखा है कि 'सीमांकन के पूर्व तरमीम किया जाना पाया जाता है'। वहीं सीमांकन फील्ड बुक में गैर-निगराकारों की भूमि स.नं. 1746/2 को स.नं. 1746 में टटीकाइन बनाकर दिखाया गया होना स्पष्ट है और स.नं. 1746 | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | की शेष भूमि एकचक बिना किन्ही अन्य बटांकों के दिखाई गई है, जबकि स.न. 1746 के अन्य बटांक भी हैं। इस से यह स्पष्ट है कि स. न. 1746/2 की तरमीम पटवारी ने सीमांकन की कार्यवाही के दौरान ही मौके पर फील्डबुक मे दर्शा दी है, जिसे RI ने सही मानकर सीमांकन की पुष्टि कर दी है। किसी बटांक के सीमांकन से पूर्व इसकी नक्शे पर तरमीम तहसीलदार के स्तर से विधिवत, सभी सरहदी कृषकों, अन्य बटांक-धारियों और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना और पक्षसमर्थन का अवसर देते हुए, स्पष्ट और पृथक आदेश से की जानी आवश्यक है। यह कार्य पटवारी या RI के | |

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3893-III/14 जिला रीवा

बेवा कसीमा/शमसीर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | स्तर में सीमांकन कार्यवाही के दौरान नहीं किया जा सकता। | |
| | अतः, उपरोक्त तथ्यों और विवेचना के प्रकाश में RI का आक्षेपित आदेश दि. 25-8-14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और इसे निरस्त करता हूं। | |
| | साथ ही मैं संबंधित तहसीलदार, मनगवां को यह निर्देश देता हूं कि वे, ऊपर लिखी जा चुकी पद्धति और विधि के प्रावधानों का पालन करते हुए, पहले गैर-निगरानीकार पक्ष की भूमि की नक्शे पर तरमीम विधिवत आदेश द्वारा करें। तदुपरान्त उस | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | तरमीम के अनुसार उनकी भूमि का विधिवत सीमांकन करें / करायें। | |
| | निगरानी तहसीलदार, मनगवां को निर्देशों के साथ स्वीकृत। | |
| | आदेश पारित। | |
| | पक्षकार और तहसीलदार, मनगवां सूचित हों। | |
| | प्रकरण समाप्त। | |
| | दा. द. हो। | |